तारीख हुक्म	01/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/03/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बाद बहस हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। वाद-पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों पर सम्यक् विचार किया गया। वकील वादी का कथन है कि ग्राम देवलीखुर्द की आराजी ख.नं. 479 की 0.37 हे., 480 की 0.56 हे. 481 की 0.20 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 हेक्टर भूमि जमाबंदी संवत 2071-74 के अनुसार वादी - रामकल्याण मीणा S/o रघुनाथ मीणा के नाम खाते दर्ज है। इससे पूर्व उक्त भूमि खाता सं. 114 के अनुसार पूर्व खातेदार - सत्यनारायण पुत्र नंदलाल जाति मील के नाम खाते दर्ज थी, जिसको वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 04.7.2018 (Ex-8A) क्रय की गयी थी। सैटलमेन्ट मिलान खसरा (अं.प्र.द. मिलान) संवत 7.7.05 से 6.7.25 तक के अनुसार वर्तमान ख.नं. 479, 480, व 481 के गत ख.नं. क्रमशः 350 मि. रकबा 7 बीघा, 350 मि., 350 मि. कायम हुए। जमाबंदी संवत 2042-45 में ख.नं. 350 की 7 बीघा भूमि - किशनलाल वल्द चुन्या मील के नाम खाते दर्ज थी तथा जमाबंदी सं. 2050-53 में ख.नं. 350 की 7 बीघा भूमि - चन्दूलाल देवा लोडू मील के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। वकील वादी का कथन है कि दिनांक 30.7.2020 को आवेदन रिकार्ड का निरीक्षण करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कब्जाशुदा आराजी पर पूर्व खातेदार तथा स्वयं वादी भी कब्जाशुदा आराजी पर काबिज नहीं होकर अन्य खसरा नं. 512 की 0.01 (गै.मु.चाह) तथा ख.नं. 513 की 1.28 में से 1.12 हैक्टेयर भूमि कुल 1.13 है. पर वर्तमान में वादी स्वयं काबिज होकर काश्त कर रहा है। जबकि उक्त ख.नं. 512 व 513 की भूमि प्रतिवादीगण (क्र.सं. 1 से 7) के खातेदारान हरकचन्द पुत्र भीमराज हि.1/12 व किशोरकुमार/राधेश्याम हि.1/2 जाति ब्राह्मण के शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है [इन्द्र-2] जिनका ... फल इन्द्र-5 के अनुसार ख.नं. 512 व 513 के गत ख.नं. 343 कि. रकबा 2 बीघा से बने है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों का उक्त भूमि 512 व 513 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि पर वादी तथा पिता खातेदार (लालनारायण) का ख.नं. 512 व 513 पर 60 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त रहा है। भू. प्रबंध विभाग द्वारा रिकार्ड में गलत नाम की प्रविष्टि हो जाने से त्रुटि कारित होना अवगत कराया है। वादग्रस्त भूमि पर विगत 60 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त होने से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर वादी के खातेदारी अधिकार सृजित हो जाना अंकित किया है। तदानुसार अनुतोष चाहा गया है। वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 1.7.24 के अनुसार वादी जिस भूमि पर स्वयं (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का कब्जा साबित बताया है अपनी क्रयशुदा भूमि बता रहा है वह ख.नं. 512 व 513 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी है, जिस पर से वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि से जबरन बेदखल कर दिया है। इस सम्बन्ध में तहसील स्तर पर अंतर्गत धारा 183 बी RTA में विचाराधीन बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी शुदा आराजी ख.नं. 512 व 513 पर प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त रहा है प्रतिवादीगण को वादी द्वारा वर्ष 2020 में जबरन उक्त भूमि से बेदखल किया है। अतः प्रतिवादीगण को पुनः उक्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावे। वाद वादी निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त वाद पर अभिवचनों [illegible] हमारे द्वारा निम्नानुसार तनकीहात कायम की गयी:

1. आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खाते की भूमि ख.नं. 512 व 513 पर कुआ खुदवाना काबिज काश्त बताया 60 वर्ष से अधिक से निरंतर काबिज काश्त है
2. आया वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय शुदा आराजी के विक्रेता खातेदार सत्यनारायण व [illegible] आदि [illegible] का जिस भूमि पर कब्जा था वह भूमि ख.नं. 512, 513 थी, जिसका क्रय के बाद वादी का कब्जा काश्त रहा है
3. आया वादी काबिज काश्त भूमि 512, 513 पर खातेदारी अधिकार घोषित की घोषणा करवाने का अधिकारी है
4. प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जा शुदा भूमि का [illegible] जो बेदखल करने का उल्लेखित किया है

Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
	5 अतः प्रतिवादीगण, वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का अधिकारी है।	
	6. अतः वादी द्वारा अपने शपथ-पत्र (P.W.1) में प्रतिवादीगण (क्र.सं. 1 से 7 तक) के अतिरिक्त अन्य खातेदारान विनोद कुमार व हरकलाल की लावल्द मृत्यु होना अवगत कराया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का कोई प्रत्युत्तर / विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।	
	उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण प्रकरण में वादी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.7.18 से क्रय की गयी भूमि ख.नं. 479, 480 व 481 किता 3 रकबा 1.13 हैक्टे. भूमि ~~का~~ का वर्तमान व भू-प्रबंध पूर्व का साबिक नक्शा ट्रेस तथा प्रतिवादीगण की खातेशुदा भूमि ख.नं. 512 व 513 का वर्तमान व भू-प्रबंध पूर्व का साबिक नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि वही भूमि है जिस पर वह विगत 60 वर्षों से काबिज काश्त रहा है। प्रतिवादीगण के खातेशुदा आराजी भूमि ख.नं. 512, 513 की कुल 1.28 हैक्टे. में से 1.13 हैक्टे. भूमि वादी द्वारा विक्रेता सत्यनारायण से क्रयशुदा भूमि है जो पूर्व में विक्रेता के खाते की भूमि रही हो ऐसा भी कोई राजस्व अथवा जमाबंदी अथवा कागज / के पास का नामान्तरकरण इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से सिद्ध है प्रमाणित है।	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खातेशुदा आराजी ख.नं. 512 व 513 पर वादी का जबरन कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने खातेशुदा भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया हो ऐसा भी कोई दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं होने से प्रतिवादीगण वादी को अपने खातेशुदा आराजी भूमि से बेदखल करने का अधिकारी सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेजों विक्रय पत्रादि से यह सिद्ध होता है कि वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि वह भूमि नहीं है जिस पर वह 60 वर्षों से कब्जा काश्त चला रहा है वरन वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार की भूमि पर बिना किसी अधिकार दस्तावेज के जबरन अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त होना सिद्ध होता है। अतः दावा वादी गुणहीन तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा काउन्टर क्लेम द्वारा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी भूमि ख.नं. 512 व 513 से वादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण को उनकी खातेशुदा भूमि का कब्जा सम्भलाया जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी [illegible]
	निर्णयानुसार - डिक्री पर्चा जारी होवे। पत्रावली फैसल शुमार दी जाकर जमा रेकार्ड दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/3/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Che चारु IAS **उपखण्ड अधिकारी** **रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज)** कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)	